

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8482/2026
CNR: RJHC010608092026
URN: CRLMB / 18409U / 2026

Jalaram S/o Shri Bhawarlal, Aged About 36 Years, Resident Of
Khetasar Police Station Onsia District Jodhpur
Rajasthan(Presently Lodged In Central Jail Jodhpur)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Firoz Khan
For Respondent(s)	: Ms. Sonu Manawat, PP Mr. T.R.S. Sodha

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

09/07/2026

01. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., पुलिस थाना ओसियां, जिला जोधपुर ग्रामीण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 173/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 331(4), 305(ए), 112(2), 3/5 बी.एन.एस. के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।
02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
03. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में सहअभियुक्त राजू उर्फ राजाराम से बरामदगी हुई है, प्रार्थी-अभियुक्त से कोई बरामदगी इस मामले में नहीं हुई है। प्रार्थी-अभियुक्त काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।
04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि राजू उर्फ राजाराम प्रार्थी-अभियुक्त का सगा भाई है एवं प्रार्थी-अभियुक्त के घर पर ही रहता है एवं उसके घर से राजू उर्फ राजाराम ने बरामदगी करवाई है एवं अन्य आइटम की बरामदगी भी शेष है एवं प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में चार मुकदमे लंबित है। प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा केस डायरी का अवलोकन किया। इस मामले में कोई बरामदगी प्रार्थी-अभियुक्त से नहीं की गई है।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **जालाराम पुत्र भंवरलाल** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J